न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **अजय शुक्ला, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या : 45/2016

गंगोत्री देवी व अन्य बनाम कमला बाई व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–8 नियम 1(3) सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 65, 67 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री प्रकाश चंद भण्डारी, वादीगण के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्री सुनील दाधीच, प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता,
3. श्री महेश शर्मा, प्रतिवादी संख्या–3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता
4. प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

आदेश दिनांकः 28.04.2025

1. इस आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 04 महावीर शर्मा के विधिक वारिसान 4/1 लगायत 4/6 की ओर से दिनांक 08.04.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–8 नियम 1(3) सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 65, 67 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रतिवादी संख्या 04 महावीर शर्मा के विधिक वारिसान 4/1 लगायत 4/6 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से विवाह कार्ड एवं रूपये प्राप्त करने की रसीद की फोटोप्रतियां पूर्व में पेश की हुई है। मूल विवाह कार्ड तो मिल गया है लेकिन अन्य दस्तावेजात बहुत ढूढ़ने पर भी नहीं मिल पा रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 04 की मृत्यु के बाद उन्हें न्यायालय से सम्मन कायम मुकाम का नोटिस मिला, तब जाकर उन्हें वाद की जानकारी हुई। घर पर तलाश करने पर एक पारिवारिक बंटवारा पत्र दिनांक 13.07.1990 की फोटोप्रति प्राप्त हुई है। उक्त दस्तावेजात महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे वाद के न्याय में सहायता मिलेगी। मूल के अभाव में पारिवारिक बंटवारा पत्र को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्श हेतु अनुमति प्रदान की जावे। अन्त में प्रार्थना की गई कि दस्तावेज विवाह कार्ड को स्वीकार कर तथा पारिवारिक बंटवारा पत्र दिनांक 13.07.1990 द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार प्रदर्श हेतु अनुमति प्रदान की जावे।

3. उक्त प्रार्थना पत्र की नकल वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को दी गई, किन्तु उनके द्वारा कोई जबाव पेश नहीं कर केवल मौखिक रूप से बहस सुने जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक

अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4/1 लगायत 4/6 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 04 महावीर की मृत्यु होने के बाद प्रतिवादी संख्या 4/1 लगायत 4/6 को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है, जिसकी जानकारी अभी वर्तमान में हुई है। घर पर तलाश करने पर पारिवारिक बंटवारा पत्र दिनांकित 13.07.1990 की फोटोप्रति प्रस्तुत हुई है तथा विवाह कार्ड की प्रति भी पेश की है, जो कि न्यायहित में वाद में रिकार्ड पर आना आवश्यक है, क्योंकि उक्त दस्तावेजात हस्तगत वाद के निस्तारण में सुसंगत होकर न्याय निर्णयन में भी सहायक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

6. इसके विपरीत अप्रार्थी/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का खण्डनस्वरूप मौखिक रूप से विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण, प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु के उपरान्त बतौर विधिक वारिसान रिकार्ड पर आये हैं, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें अपने पिता महावीर के हस्तगत वाद में बतौर पक्षकार होने की जानकारी नहीं हो और जब इस प्रकार का कोई दस्तावेज पारिवारिक बंटवारा पत्र की फोटोप्रति थी तो वह प्रतिवादी महावीर के द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती थी, किन्तु महावीर द्वारा मरने से पूर्व इस दावे में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही उक्त बंटवारानामा की फोटोप्रति पेश की, केवल शादी के कार्ड की फोटोप्रति पूर्व में पेश की गई है। उसमें भी कांटछांट हो रही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 4/1 लगायत 4/6 का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमारे द्वारा उभय–पक्ष के तर्को पर विचारपूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रतिवादीगण संख्या 4/1 लगायत 4/6 ने जिस पारिवारिक बंटवारा पत्र की फोटोप्रति पेश कर रिकार्ड पर द्वितीयक साक्ष्य के रूप में लिये जाने का निवेदन किया है तो मूल प्रतिवादी संख्या 4 ने उक्त पारिवारिक बंटवारा पत्र पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता है कि यदि उनके पास उस समय उक्त बंटवारा पत्र होता तो वह निश्चित तौर पर उनके द्वारा पेश किया जाता। इसके अलावा जो शादी का कार्ड बताया गया है, जिसकी फोटोप्रति पूर्व में पेश करना बताया गया है, वह भी पत्रावली के

अवलोकन से दिनांक 22.12.2014 को शामिल पत्रावली किये जाने का अंकन है तथा इस पर न्यायालय की मोहर लगी है लेकिन उसका कोई हवाला न्यायालय की आदेशिका में नहीं है, क्योंकि दिनांक 22.12.20214 की कोई पेशी लिखी हुई हो, ऐसा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 28.10.2014 के बाद पेशी दिनांक 20.12. 2014 नियत की गई थी और दिनांक 20.12.2014 की पेशी पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश होने का कोई हवाला नहीं है और दिनांक 20.12.2014 के बाद सीधे पत्रावली दिनांक 24.03.2015 की पेशी में नियत की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 22.12.2014 को उक्त दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये गये हो, ऐसा कोई कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है, केवल मात्र कोर्ट की मोहर लगी हुई है, जो कि स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 22.12.2014 को पेश किये गये दस्तावेजात को आगामी पेशी पर रिकार्ड पर लिया गया हो, ऐसा भी कोई अंकन दिनांक 24.03.2024 की पेशी में नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों दस्तावेजात यदि पूर्व से अस्तित्व में थे तो उन्हें प्रतिवादी महावीर द्वारा पेश किया जाना चाहिए था, इसलिए उक्त दस्तावेजात सद्भाविक रूप से सम्यक एवं समुचित कस्टडी से पेश किये गये हो, ऐसा भी जाहिर नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.05.2011 को वादिनी गंगोत्री बाई की पुत्री मिथलेश कुमारी की शादी का जो कार्ड प्रस्तुत किया गया है, वह लाल स्याही से छपा हुआ है तथा उसमें पेन लाल स्याही से दूल्हे के नाम में तथा एक अन्य स्थान पर कांट–छांट की हुई है, जिसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर पारिवारिक बंटवारा पत्र की फोटोप्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में तथा विवाह कार्ड में कांट–छांट होने से साक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना विधिसम्मत दृष्टिगत नहीं होता है।

9. अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4/1 लगायत 4/6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 08.04.2025 अन्तर्गत आदेश–8 नियम 1(3) सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 65, 67 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अजय शुक्ला)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

10. आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)